

कार्यालय दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक **डी-६७** /स्था०/दुग्ध-१/उप दु०वि०अ०का०आ०/दिनांक: **१६**, ::जुलाई, २०१९

**कार्यालय-ज्ञाप**

कतिपय उप दुग्धशाला विकास अधिकारियों स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के पद का प्रशासनिक, वित्तीय एवं सांविधिक (Statutory Powers) दायित्वों के निर्वहन हेतु वर्तमान में विभिन्न जनपदों व मण्डलों पर तैनात उप दुग्धशाला विकास अधिकारियों के मध्य जनपदों के आवंटन सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या सी-१९३/स्था०/दुग्ध-१/उपदु०वि०अ०का०आ० दिनांक ३०-०१-२०१९ को एतद्वारा अतिक्रमित करते हुए उप दुग्धशाला विकास अधिकारियों का अतिरिक्त कार्य आवंटन की नवीन व्यवस्था निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

| क्र० सं० | उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का नाम | वर्तमान तैनाती | अतिरिक्त आवंटित जनपद  |
|----------|-----------------------------------|----------------|---|
| १        | २                                 | ३              | ४   |
| १        | श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा        | लखनऊ मण्डल     | रायबरेली  |
| २        | श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव        | मुख्यालय       | उन्नाव  |
| ३        | श्री अरविन्द कुमार यादव           | मुख्यालय       | हरदोई   |
| ४        | श्री शंकरलाल                      | मुख्यालय       | शाहजहाँपुर  |
| ५        | श्री श्याम सुन्दर                 | लखीमपुर-खीरी   | सीतापुर   |
| ६        | श्री नथू सिंह                     | बहराइच         | श्रावस्ती   |
| ७        | श्री पंकज                         | बरेली          | बदायूँ, पीलीभीत, अमरोहा सम्भल, बिजनौर एवं रामपुर  |
| ८        | श्री रामशरण                       | बौदा           | चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़                          |
| ९        | श्री बृजमोहन त्यागी               | बस्ती          | सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर  |
| १०       | श्री अतुल कुमार सिंह              | मैनपुरी        | -   |
| ११       | श्री बहादुर सिंह                  | हाथरस          | अलीगढ़, कासगंज व एटा  |
| १२       | श्री अखिलेन्द्र मिश्र             | आगरा           | फिरोजाबाद   |
| १३       | श्री सन्तोष कुमार दिवाकर          | कन्नौज         | कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया  |
| १४       | डा० सत्येन्द्र सिंह               | जालौन          | -   |
| १५       | श्री भानु प्रताप सिंह             | झांसी          | ललितपुर   |
| १६       | श्री अनुज कुमार यादव              | गोरखपुर        | देवरिया, महाराजगंज एवं कुशीनगर  |
| १७       | श्री सुधाकर प्रसाद                | आजमगढ़         | -   |
| १८       | श्रीमती रेनु कुमारी               | मऊ             | बलिया   |
| १९       | श्री मंगलदेव प्रसाद               | वाराणसी        | चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर  |
| २०       | श्री राजेश कुमार                  | मिर्जापुर      | सोनभद्र, संतरविदास नगर (भदोही)  |
| २१       | श्री इन्द्रभूषण सिंह              | गोण्डा         | बलरामपुर  |
| २२       | श्री कन्हैया यादव                 | अयोध्या        | अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर एवं अमेठी   |
| २३       | श्री विकास बालियान                | मुरादाबाद      | मथुरा, हापुड, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, मेरठ, बागपत एवं गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली |

२- सम्बन्धित उप दुग्धशाला विकास अधिकारी अपने आवंटित जनपदों में शासनादेश संख्या बी-१-१५१/ दस-२०१३ दिनांक १७-०१-२०१३ एवं तत्कम में शासनादेश संख्या-१०४/५३-२०१३-२(९)/१२ दिनांक ३०-०१-२०१३ द्वारा प्राधिकृत जनपदीय कार्यालय/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जिसमें आहरण वितरण का अधिकार भी विहित है।



3— जनपदीय दुग्ध संघों को विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत/आहरित कर उपलब्ध करायी गयी धनराशि का सम्बन्धित शासनादेशों में निर्धारित प्रयोजन में उपयोग सुनिश्चित करने हेतु योजना की धनराशि से सम्बन्धित दुग्ध संघ के चेकों पर प्रतिहस्ताक्षर करने तथा सम्बन्धित धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर दुग्ध आयुक्त को यथासमय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित मण्डल कार्यालय/ मण्डल मुख्यालय में तैनात दुग्धशाला विकास अधिकारी अथवा उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, का होगा। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत विशिष्ट व्यवस्था निम्नवत् रहेगी।

दुग्ध संघ, गोण्डा, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, मथुरा, मीरजापुर एवं मेरठ के प्रबंधक/सामान्य प्रबंधक का दायित्व उप दुग्धशाला विकास अधिकारियों द्वारा निवर्हन किया जा रहा है। अतः इन दुग्ध संघों की योजनाओं की धनराशि से सम्बन्धित दुग्ध संघ के चेकों पर प्रतिहस्ताक्षर करने तथा सम्बन्धित धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर दुग्ध आयुक्त को यथासमय उपलब्ध कराने का दायित्व देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, विन्ध्याचल एवं आगरा मण्डल के मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारियों का होगा।

4— उप दुग्धशाला विकास अधिकारी अपने तैनाती जनपद के साथ-साथ आवंटित जनपदों के दुग्ध संघों के संचालक मण्डल की बैठकों में भाग लेने हेतु दुग्ध आयुक्त के अधिकृत प्रतिनिधि होंगे।

5— उक्त अतिरिक्त आवंटित कार्य हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को कोई अतिरिक्त मानदेय/वेतनभत्ता आदि देय नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(डॉ० सुधीर एम० बी०)  
दुग्ध आयुक्त।

पत्रांक १-67 / तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— समस्त अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
- 2— समस्त प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, उत्तर प्रदेश।
- 3— समस्त उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4— समस्त मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश।
- 5— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8— समस्त सभापति, संचालक मण्डल, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, उत्तर प्रदेश।
- 9— प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०डी०एफ०लि०, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
- 10— वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास उ०प्र०, लखनऊ।
- 11— समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
- 12— वैयक्तिक सहायक, अपर दुग्ध आयुक्त/दुग्ध आयुक्त, मुख्यालय।
- 13— विशेष सचिव, दुग्ध विकास अनुभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ।

(श्रीनिवास)  
16.7.14

मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी,  
मुख्यालय।